सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003
फोन–0755–2555916 फेक्स–2552665
ई–मेल dpswbpl@nic.in, md.samagra@mp.gov.in
sparsh.samagra.gov.in

क्रमांक / स्पर्श / नि.वि. / 2018 / 146/10 भोपाल, दिनांक 06/01/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त / उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
   मध्यप्रदेश।

विषय :– निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन स्पर्श पोर्टल (sparsh.samagra.gov.in) से करने के संबंध में।

निःशक्तजनों के लाभ के लिये शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ को एक ही स्थान पर सरलीकृत रूप से प्रदाय करने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त निःशक्तजनों की एकीकृत जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहे, इस हेतु एन.आई.सी. म.प्र. के माध्यम से स्पर्श पोर्टल (sparsh.samagra.gov.in) विकसित किया गया हैं।

2. निःशक्तजनों को विवाह उपरांत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है। उक्त योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन व समीक्षा हेतु स्पर्श पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। स्पर्श पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही कर पात्र निःशक्त व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें :–

2.1 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। 9 अंकों की समग्र आई.डी. की सहायता से कोई भी निःशक्त व्यक्ति या कार्यालय, आवेदन को ऑनलाईन दर्ज कर सकता है।

2.2 यदि दम्पत्ति में से केवल एक निःशक्त है तो एकल आवेदन दर्ज किया जायेगा एवं यदि दम्पत्ति (पति व पत्नि) दोनो निःशक्त है तो संयुक्त आवेदन किया जायेगा व दोनो की 9 अंकों की समग्र आईडी आवेदन में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

2.3 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करने पर समग्र पोर्टल पर दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी।

2.4 निःशक्तता प्रमाण–पत्र, फोटो, विवाह प्रमाण–पत्र, बैंक पासबुक एवं आय प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र) को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (यदि आवेदक का फोटो व निःशक्तता प्रमाण–पत्र पूर्व से ही स्पर्श पोर्टल पर अपलोड है तो पुनः प्रमाण–पत्र अपलोड करना आवश्यक नहीं हैं)

2.5 आवेदक का मोबाइल नम्बर, विवाह दिनांक, विवाह का स्थान, वार्षिक आय की जानकारी इत्यादि को दर्ज कर ऑनलाईन आवेदन किया जाये।

2.6 दर्ज ऑनलाईन आवेदन संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के यूजर पर उपलब्ध होंगे। प्राप्त ओवदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत (कारण सहित) करने की कार्यवाही समय–सीमा (लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अनुसार) की जाये।

2.7 योजना अंतर्गत स्वीकृति आदेश जेनरेट कर हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान उनके बैंक बचत खाते में ई–पेमेंट के माध्यम से निर्धारित समय–सीमा में किया जाये।

3. जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदन को संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आवेदन को ऑनलाईन दर्ज किया जाये।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर 1 जनवरी 2018 से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन के प्राप्त आवेदनों (ऑफलाईन/ऑनलाईन) प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकृत या अस्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये (यूजर मैन्यूअल परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न)। निःशक्त विवाह योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या व सुझाव होने पर विस्तृत जानकारी सहित श्री महेन्द्र त्यागी, प्रोग्रामर के ई–मेल आईडी mahendra.tyagi@mp.gov.in या संचालनालय के ई–मेल आई.डी. dpswbpl@nic.in व दूरभाष नम्बर 0755–2555700, 2558396 पर संपर्क किया जा सकता है।

(अशोक शाह)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

पृ. क्रमांक / स्पर्श / नि.वि. / 2018 / 146/11 भोपाल, दिनांक 06/01/2018

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।

2– समस्त संभाग आयुक्त, म.प्र.।

3– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।

3– श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. विंध्याचल भवन म.प्र.।

4– संयुक्त संचालक / उप संचालक, प्रभारी अधिकारी, संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– श्री महेन्द्र त्यागी, प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

Application User Manual

For

नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

अंतर्गत

ऑनलाईन आवेदन व स्वीकृत करने की प्रक्रिया

संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण हेतु

(Version 1.0)

Prepared by

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

एवं

राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र

भोपाल, म0प्र0

जनवरी 2018

नि:शक्तजनों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना

योजना कब से प्रारंभ की गई 12 अगस्त 2008

योजना का स्वरूप - नि:शक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।

1. पात्रता के मापदंड

   1- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता हो।

   2- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

   3- न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। Male Age ≥ 21 & Female ≥ 18

   4- विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/ या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रुप से विहित किया गया हो।

   5- आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

2. अन्य शर्ते

   - नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता उनके पूरे जीवनकाल में एक बार दी जावेगी । विधवा/परित्यक्ता/विधुर होने की स्थिति में पूर्व सहायता प्राप्त कर लेने की स्थिति में पुनः उसे पात्रता नहीं आवेगी ।
   - नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत नि:शक्तता होना आवश्यक है जो दंपत्ति (पति/पत्नी में से कोई एक नि:शक्त है वही आवेदन कर सकेगा। दोनों के नि:शक्त होने की स्थिति में संयुक्त रुप से आवेदन करना होगा । विवाह की पुष्टि हेतु विवाह अधिनियम 1954 के तहत बनाये गये नियम 2008 के तहत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज एवं विधि पूर्वक संपन्न हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र अभिकथन/शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
   - नि:शक्त दंपत्ति (पति/पत्नी) यदि दोनों संयुक्त रुप से आवेदन करते है तो पति के मूल निवास का स्थान जहां उसका स्थाई पता, भवन, परिसंपत्ति, भूमि आदि की पुष्टि की जाकर पति/पत्नी को एक स्थान पर यथा पति के मूल निवास जिले में लाभ दिया जायेगा । यही व्यवस्था यदि पत्नी विकलांग है और पत्नी का निवास स्थान पति से भिन्न है तो पत्नी आवेदक के रुप में जिस जिले की वह मूल निवासी है वहां उसको आवेदन करना होगा ।
   - नि:शक्त विवाह करने के पूर्व नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के लिए उसी प्रकार आवेदन करना होगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के लिए आवेदन करना होगा। नि:शक्त दंपत्ति में से कोई आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के **एक वर्ष की अवधि के भीतर** आवेदन करना होगा । अन्यथा नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी ।
   - स्वीकृत सहायता नि:शक्त व्यक्ति के विवाह विच्छेद अथवा विवाह विघटन 5 वर्ष के पूर्व होता है तो विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि शासन को वापस करना होगी। आवेदक द्वारा राशि वापस नहीं किये जाने की स्थिति में भू-राजस्व की बकाया की तरह सहायता राशि वसूली के योग्य होगी।

3. सहायता राशि

a. यदि दम्पत्ति में से एक नि:शक्त तथा एक सामान्य है तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु रूपये 2.00 लाख प्रोत्साहित राशि दी जावेगी।

b. युवक व युवती दोनो के नि:शक्त होने पर संयुक्त रूप से दम्पत्ति को रूपये 1.00 लाख सहायता राशि दी जावेगी।

सहायता राशि तथी देय होगी, जब विवाह सक्षम अधिकारी के यहां पंजीकृत हो और उसके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अन्यथा राशि देय नहीं होगी।

4. आवश्यक दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये:-

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2. चिकित्सक द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
3. आयकरदाता न होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
4. आयु संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
5. नि:शक्त दंपत्ति का संयुक्त दो पासपोर्ट साइज के फोटो
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
7. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमे बचत खाता नम्बर अंकित हो।

5. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6. स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी - संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग

आवेदन पत्र के निराकरण की समय-सीमा - 15 कार्य दिवस

नोट :- नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदक द्वारा आवेदन विवाह के उपरांत किया जाता है। नि:शक्तजनों द्वारा यदि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत भी शादी की जाती है तो उन्हे नि:शक्त विवाह सहायता योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ भी प्रदाय किया जाता है।

स्पर्श पोर्टल (http://sparsh.samagra.gov.in/)

नि:शक्तजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरलीकृत रूप से प्रदाय करने हेतु एन.आई.सी. म.प्र. के द्वारा स्पर्श पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से नि:शक्तजनों द्वारा 9 अंकों की समग्र आईडी की सहायता नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन

सर्वप्रथम स्पर्श पोर्टल http://sparsh.samagra.gov.in/ पर Logon करें ।

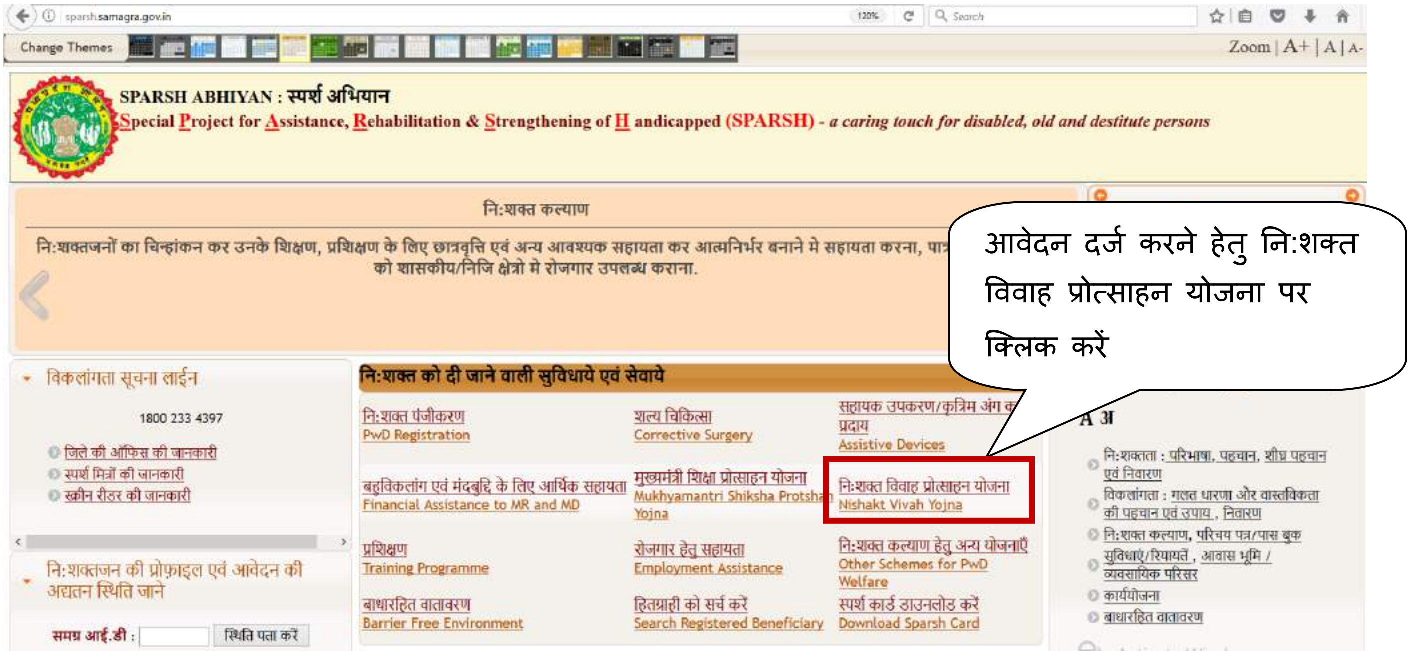

निम्नानुसार योजना हेतु पेज Open हो जायेगा

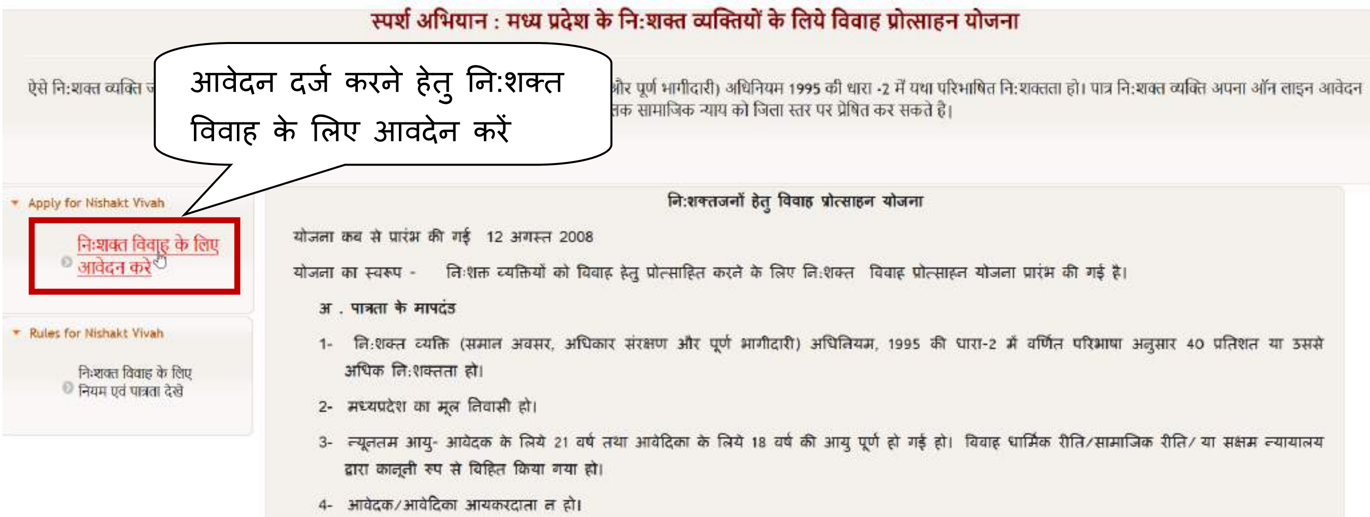

आवेदन ऑनलाईन दर्ज करने हेतु नवीन पेज Open होगा।

यदि केवल आवेदक नि:शक्त है अर्थात् पति/पत्नि में से कोई एक नि:शक्त है तो Single Applicant व यदि पति/पत्नि दोनो नि:शक्त है तो Joint Applicant का विकल्प चुने।

1. Single Applicant में आवेदक की 9 अंकों की समग्र आईडी अनिवार्य है,
2. Joint Applicant में पति/पत्नि दोनो की 9 अंकों की समग्र आईडी अनिवार्य है
3. यदि आवेदक का पंजीयन स्पर्श पोर्टल पर नहीं है तो आवेदक को स्पर्श पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, जिसके लिये **Register link** पर क्लिक कर पंजीयन किया जा सकता है।

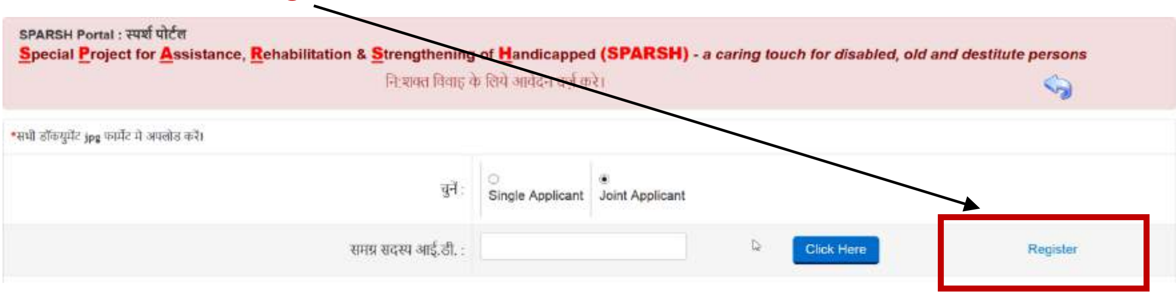

आवेदन करने हेतु Single या Joint Applicant में से किसी एक विकल्प का चयन करें

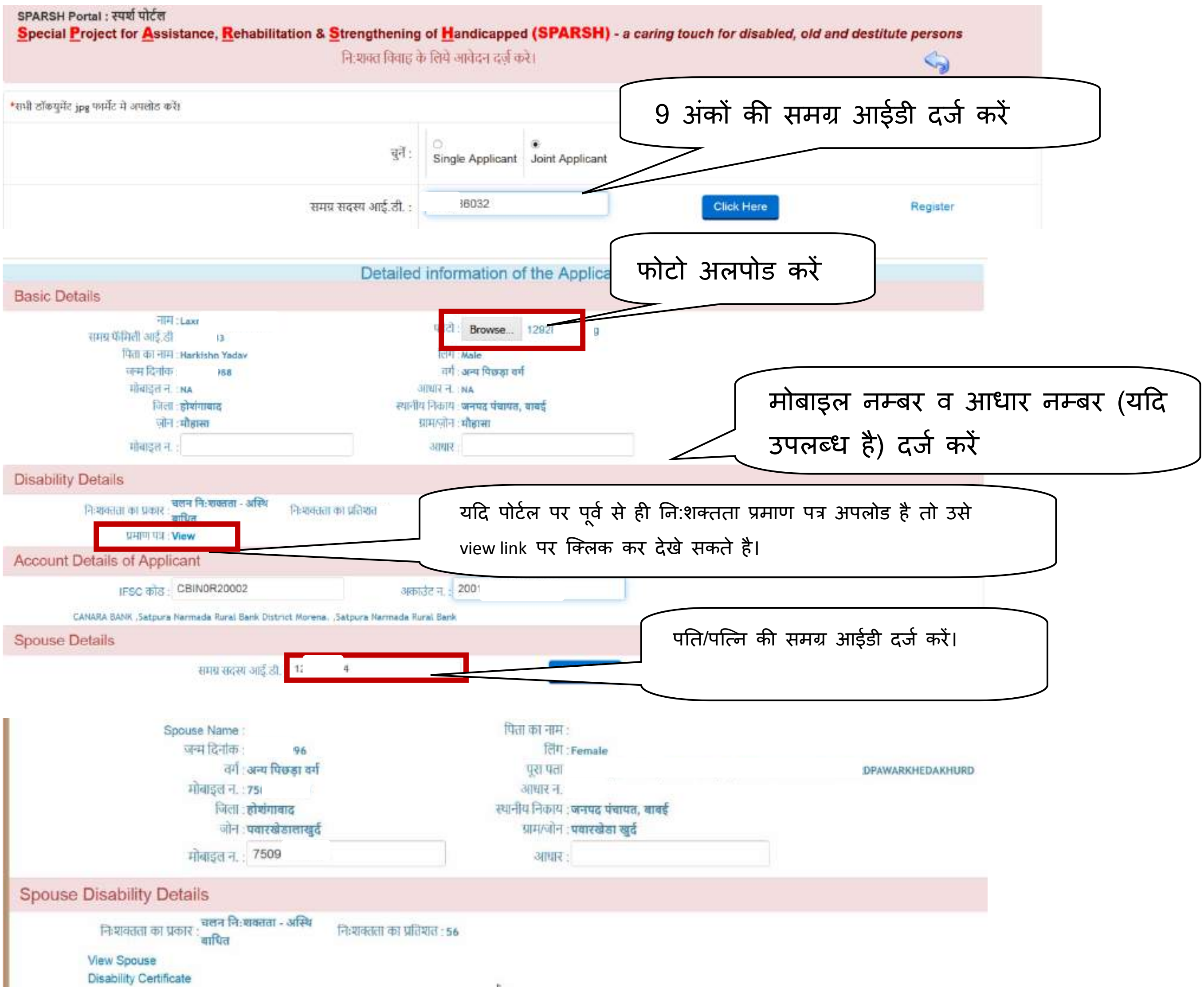

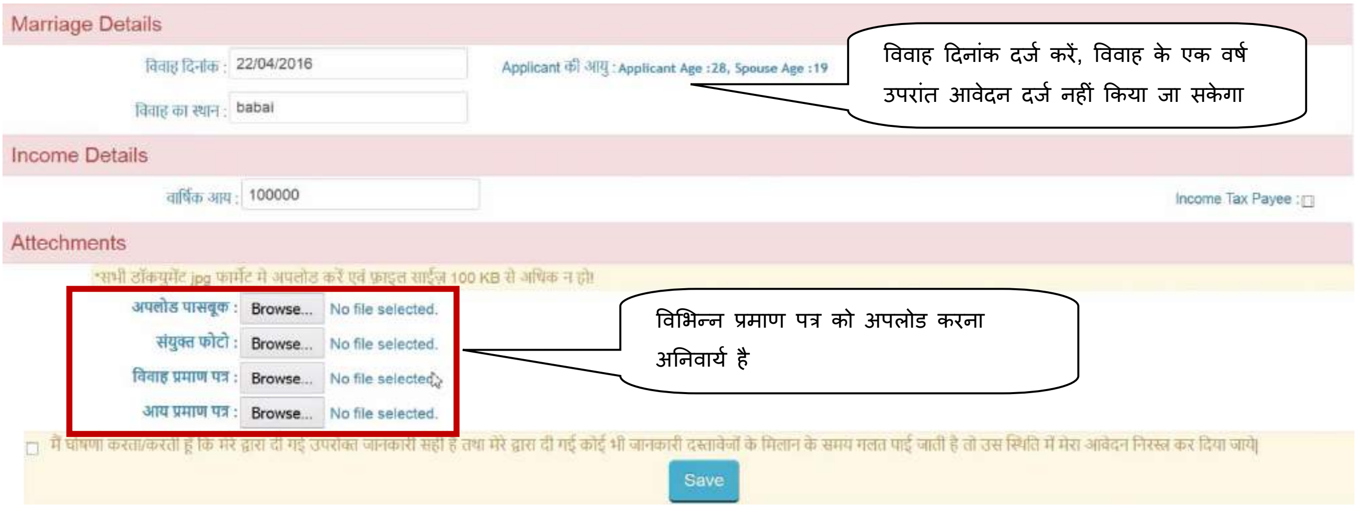

उपरोक्तानुसार जानकारी दर्ज करने व प्रमाण-पत्र अपलोड करने के उपरांत Save Button पर क्लिक करें, जिससे आवेदन ऑनलाईन दर्ज हो जायेगा।

संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के जिला कार्यालय sparsh.samagra.gov.in पर Login करेंगे

Sanction Nishakt Vivah पर क्लिक करें जिससे कि जिला स्तर पर प्राप्त लंबित आवेदनों की सूची निम्नानुसार प्राप्त हो जायेगी

View Applicant Details पर क्लिक कर आवेदन देखे व अपलोड किये गये फोटो व प्रमाण पत्र की जानकारी को देखे ।

View Applicant Details

Applicant Details

Applicant Details			
आवेदक का नाम	L idav	फोटो	
समग्र आई. डी.	1		
पिता का नाम		लिंग	Male
जन्म दिनांक	0	वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
मोबाइल न.	7	आधार न.	
जिला	होशंगाबाद	स्थानीय निकाय	जनपद पंचायत, बाबई
ज़ोन	मोहासा	ग्राम/ज़ोन	मोहासा
Applicant Disability Details			
निःशक्तता का प्रकार	चलन निःशक्तता - अस्थि बाधित	निःशक्तता का प्रतिशत	40
Account Details of Applicant			
IFSC कोड	CB	अकाउंट न.	01787
Spouse Details			
स्पाउज का नाम		जन्म दिनांक	0
लिंग	Female	वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
फेमिली आई. डी.	2	मोबाइल न.	
आधार न.		जिला	होशंगाबाद
स्थानीय निकाय	जनपद पंचायत, बाबई	ज़ोन	पवारखेडाखुर्द
ग्राम/ज़ोन	पवारखेडा खुर्द		
Spouse Disability Details			
निःशक्तता का प्रकार	चलन निःशक्तता	निःशक्तता का प्रतिशत	
Marriage Details			
विवाह दिनांक		संयुक्त फोटो	
विवाह का स्थान	babai		

Sanction | Temporary Reject | Parmanent Reject | Close

अपलोड किये गये प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करें।

स्वीकृति उपरांत स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु Generate Sanction Order पर क्लिक करें।

Generate Sanction Order							
SNO	Samgra ID	Name	Spouse SamgraID	Spouse Name	LocalBody	Generate Sanction Order	Download Treasury File
1	12	Laxm dav	12	Sa av	Janpad Panchayat, BABAI	Generate	Download Treasury File

Generate Button पर क्लिक कर स्वीकृति आदेश को डाउनलोड करें व प्रिंट करें।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

जिला : HOSHANGABAD , म.प्र

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत स्वीकृति आदेश

पंजीकयन क्रमांक : 1

आवेदक/आवेदिका का नाम : L adav

संयुक्त फोटो

लिंग : Male

आयु : 29

पिता/पति का नाम : Harkishn Yadav

ब्रांच का नाम:

आई.एफ.एस.सी. कोड :

बचत खाता नंबर 001787

पता : होशंगाबाद , जनपद पंचायत, बाबई , मोहासा, मोहासा

आवेदक का नि:शक्तता का प्रकार व प्रतिशत : चलन नि:शक्तता - अस्थि बाधित/

पति/पत्नि का नाम :

लिंग : Female

आयु : 20

स्पाउज का नि:शक्तता का प्रकार व प्रतिशत : /

विवाह दिनांक : 22/04/2016

आवेदन दिनांक : 2

योजना के अंतर्गत आवेदक को विवाह प्रोत्साहन राशि उसके बचत खाते मे ट्रान्सफर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नव-दम्पति के सुखमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थान : HOSHANGABAD

दिनांक : 3/28/2017

हस्ताक्षर व सील

संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्ततजन कल्याण

जिला - HOSHANGABAD म.प्र.

उपरोक्तानुसार स्वीकृति आदेश जारी कर उक्त आदेश भुगतान हेतु बैंक को उपलब्ध कराया जाये जिससे आवेदक को योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से हो सके।